न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 35/2016

RCMS Case No. 2016/00269

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थीगणः–**
रमेश कुमार पत्रु अचलादास जाति जैन निवासी लाटाडा तहसील बाली जिला पाली		1. बाबुलाल पुत्र देवाराम जाति गर्ग निवासी लाटाडा तहसील बाली 2. सरपंच ग्राम पंचायत लाटाडा तहसील बाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति –

श्री खुशवन्त सांखला, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री हरजीराम, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांकः– 05.03.2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, लाटाडा द्वारा मिसल संख्या 69/2002 संकल्प संख्या 1 दिनांक 20.06.2002 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2769 दिनांक 20.06.2002 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि प्रार्थी के पिता अचलदारस द्वारा दिनांक 14.12.1973 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, जो पट्टासुदा भूखण्ड सावतींग पुत्र जगा रबारी निवासी लाटाडा से खरीद किया गया था, उक्त भूखण्ड का पट्टा सावतींग पुत्र जगा के हक में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 16.09.1965 को पट्टा जारी किया गया है, जिसके पट्टा संख्या 2 मिसल संख्या 237 है। उक्त पट्टासुदा भूमि पर प्रार्थी के आधिपत्य के भूखण्ड पर दिनांक 20.06.2002 को ग्राम पंचायत लाटाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पख में पट्टा जारी कर दिया, जबकि इसी भूमि का पूर्व में पट्टा जारी हो चुका था, इस कारण उक्त भूमि का पट्टा जारी करने की ग्राम पंचायत को अधिकारिता ही नहीं थी। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षैत्र से परे जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। पूर्व में पट्टा वर्ष 1965 को जारी किया हुआ है, जैर निगरानी पट्टे तथा पूर्व में जारी पट्टे के पडौस एक ही है, जो दोनो भूखण्ड का नक्शे से प्रमाणित होता है। ग्राम पंचायत द्वारा एक बार भूमि का आवंटन या विक्रय किया जा चुका होता है, तो उकत भूमि पर नया पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी का व्यवसाय मुम्बई में स्थित है, इस कारण प्रार्थी का अपने गांव लाटाडा में कम ही आना जाना होता है, जिसका अप्रार्थी संख्या 1 ने नाजायज लाभ प्राप्त करने की नियत से ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करवाया है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को खारिज़ करावें।

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने लिखित बहस में अंकित किया कि प्रार्थी ने निगरानी में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2769 की भूमि का पट्टा पूर्व में सावतींग के नाम बना होने के कारण उसी भूमि पर पंचायत को पट्टा बनाने का अधिकार नही था। जबकि पूर्व में जारी पट्टा एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे के पडौस भिन्न भिन्न है। पूर्व पट्टे के पूर्व दिशा में ठाकर रबारी का वाडा बताया है, जबकि अप्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे में पूर्व दिशा में चन्दनमल पुत्र कपूरचन्द का पडौस अंकित किया है। पूर्व में जारी पट्टे की इन्डेक्स में भुजाओं के नाप चौक में कांटछांट की गई है, क्षैत्रफल 528.75 बताया गया है, यह वर्गफीट है या वर्गगज अंकित नहीं है। पट्टा में अंकित उत्तर भुजा 56 फीट, दक्षिण भुजा 59 फीट, पूर्व भुजा 36 फीट एवं पश्चिम भुजा 37.6 फीटर अंकित है। इसका क्षैत्रफल निकालने पर 2116 वर्गफीट होता है, जिसको वर्गगज में परिवर्तित करने पर 235.11 वर्गगज होता है। इस अनुसार पूर्व में जारी पट्टे में अंकित क्षैत्रफल 528.75 से न तो वर्गगज से मिलान होता है, न ही वर्गफुट से मिलान होता है। इससे यह स्पष्ट है कि इण्डेक्स एवं नक्शा के नाप में विरोधाभाष है। अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा 2400 वर्गफीट का बना है। इससे यह साबित होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी पट्टा प्रार्थी के पट्टासुदा भूमि पर नहीं बनाया गया है। प्रार्थी ने मात्र इसी बिन्दु पर निगरानी याचिका प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे की प्रक्रिया के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की हैं। प्रार्थी स्वयं ने स्वीकार किया कि उक्त भूमि पर उसका कब्जा नहीं है तथा अप्रार्थी का मकान है। अप्रार्थी के पट्टे की उत्तर दिशा में प्रार्थी स्वयं का मकान है तथा प्रार्थी के पिता द्वारा खरीद की गई भूमि प्रार्थी के मकान में ही सम्मिलित हो सकती है। अप्रार्थी के पख में जारी किए गए पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी के पिता का 50–60 वर्षो से कब्जा बतौर कच्चे मकान के रूप में था। अप्रार्थी के पिता के स्वर्गवास के पश्चात से उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का रहवास है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कच्चे मकान को हटा कर दो मंजिला पक्का मकान निर्माण किया है। अप्रार्थी द्वारा पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत लाटाडा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सम्पूर्ण कार्यवाही नियमों के अनुरूप की जाकर दिनांक 20.06.2002 को पट्टा जारी किया गया, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है एवं न ही किसी प्रकार की अनियमितता है। पट्टे की भूमि के सम्बन्ध में 50–60 वर्षों से किसी को आपत्ति नहीं है। निर्विवादित रूप से अप्रार्थी संख्या 1 उकत भूमि का उपयोग उपभोग करता आ रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को नाजायज रूप से परेशान करने की नियत से 3003 के पश्चात करीब 15 वर्ष की देरी से निगरानी प्रस्तुत की है तथा देरी का कोई कारण अंकित नहीं किया है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया है, उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी अथवा अनियमितता नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन, अनुशीलन एवं परीक्षण किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, लाटाडा द्वारा मिसल संख्या 69/2002 संकल्प संख्या 1 दिनांक 20.06.2002 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2769 दिनांक 20.06.2002 के विरूद्ध पेश की गई है। मिसल के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी बाबुलाल पुत्र देवाराम जाति गर्ग द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत लाटाडा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पुश्तैनी रहवासीय मकान का पट्टा बनाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में जो भूमि के पडौस दर्ज किए, उसके अनुसार उत्तर में अचलचंद पुत्र फौजमल का मकान, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में चंदनमल पुत्र कपूरचंद जैन का मकान तथा पश्चिम में दरवाजा व रास्ता होना अंकित किया। इस

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

पर दिनांक 27.12.2010 को मिसल कायम करते हुए ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव को नक्शा तैयार करने हेतु निर्देशित किया। उक्त आदेश की पालना में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ने नक्शा मौका तैयार किया, उसमें भूखण्ड का क्षैत्रफल 2400 वर्गफीट अंकित किया। इसके पश्चात दिनांक 05.03.2002 को नक्शा मौका प्रस्तुत करने पर तीन पंचों को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया। उक्त आदेश की पालना में तीन पंचों द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके पश्चात दिनांक 20.03.2002 को अन्तरिम निर्णय पारित किया जाकर एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 20.03.2002 को आपत्ति इश्तिहार जारी किया, जो दो व्यक्तियों की मौजूदगी में मौके पर चस्पा किया गया। इसके पश्चात दिनांक 20.05.2002 को दो व्यक्तियों के बयान कलमबद्ध करने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 20.06.2002 को गवाह सोहनसिंह पुत्र हेमसिंह तथा जब्बरसिंह पुत्र तखतसिंह के बयान कलमबद्ध किए जाकर नियम 157 के तहत पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए गए। इस प्रकार प्रकरण में पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पारित पट्टे में किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटी नहीं पाई जाती है।

प्रार्थी द्वारा अपनी निगरानी का मुख्य आधार यह लिया गया है कि इसी भूमि का पूर्व में पट्टा प्रार्थी के नाम जारी हो चुका है, इस कारण पंचायत को दुबारा पट्टा जारी करने की अधिकारिता नहीं थी। प्रार्थी द्वारा अपनी निगरानी के संलग्न ग्राम पंचायत लाटाडा द्वारा जारी पट्टा संख्या 2 दिनांक 16.09.1965 की प्रति भी प्रस्तुत की। उक्त पट्टे में वर्णित पडौस एवं जैर निगरानी पट्टे में वर्णित पडौस का परस्पर मिलान नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा जिन आधारों पर निगरानी प्रस्तुत की है, वे आधार बलहीन पाये जाते है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के तहत बलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है तथा ग्राम पंचायत, लाटाडा द्वारा मिसल संख्या 69/2002 संकल्प संख्या 1 दिनांक 20.06.2002 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2769 दिनांक 20.06.2002 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत को लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 05/03/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली